भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 412

दिनांक 21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल

412. डॉ. फग्गन सिंह कुलस्तेः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा 'ई-ग्राम स्वराज' और 'ऑडिट ऑनलाइन' पोर्टलों का उपयोग राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम (पीईएसए), 1996 के उपबंधों के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को तैयार करने और तत्पश्चात् इन क्षेत्रों में इन योजनाओं को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) डिजिटल अवसंरचना, इंटरनेट की गड़बड़ी, कनेक्टिविटी, विद्युत आपूर्ति और तकनीकी क्षमता के संबंध में किन-किन प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई है और उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ङ) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इन क्षेत्रों में डिजिटल शासन पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशेष कार्ययोजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ख) संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243ड(4)(ख) के तहत 'पंचायतों का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996' (पेसा) बनाया, ताकि संविधान के भाग IX के प्रावधानों को कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों तक विस्तार किया जा सके। पंचायतें "स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय हैं और संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के तहत कार्य करते हैं। तदनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों में ईग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन जैसे डिजिटल शासन ऐप को अपनाना और उसका उपयोग करने सहित पेसा का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पंचायती राज मंत्रालय ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (MMP) के माध्यम से डिजिटल शासन को सुविधाजनक बनाता है, जिसमें ईग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन शामिल हैं, और समीक्षा बैठकों व अन्य निगरानी प्रणाली के माध्यम से राज्यों के साथ इनके कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करता है। मंत्रालय ने राज्यों द्वारा पेसा के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाने के लिए 10 पेसा संकेतक भी विकसित किए हैं; जिनमें से एक संकेतक पेसा ग्राम सभाओं की ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) को ईग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करने से संबंधित है।

पेसा क्षेत्रों में ईग्रामस्वराज के उपयोग/जीपीडीपी अपलोड की स्थिति का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल पेसा पंचायतें	कुल गांव	अनुमोदित पेसा मुख्य योजना
1	आंध्र प्रदेश	609	1613	609
2	छत्तीसगढ़	5552	9891	5532
3	गुजरात	2889	4701	2755
4	हिमाचल प्रदेश	178	1533	164
5	झारखंड	2066	17240	2066
6	मध्य प्रदेश	5197	7710	5173
7	महाराष्ट्र	2918	4317	2907
8	ओडिशा	1390	11668	1390
9	राजस्थान	1608	5690	1604
10	तेलंगाना	1314	1321	1314
कुल		23,721	65,684	23,514

(ग) पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा-विशिष्ट ग्राम विकास योजनाओं को तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए जीपीडीपी फ्रेमवर्क के अंतर्गत पेसा के ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) एकीकरण की शुरुआत की

है। पेसा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के निर्माण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु मंत्रालय द्वारा एक समर्पित 'पेसा-जीपीडीपी पोर्टल' प्रारंभ किया गया है।

इसके अलावा, योजना वर्ष 2026-27 में, पेसा को 42 गतिविधियों के साथ ईग्रामस्वराज पोर्टल में एक अलग विषय के रूप में शामिल किया गया है। ग्राम सभाओं के लिए भी पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में अपनी जीपीडीपी योजना तैयार करते समय पेसा विषय के तहत कम से कम एक गतिविधि को लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

(घ) कुछ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल शासन ऐप को अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें अपर्याप्त डिजिटल अवसंरचना, अनियमित इन्टरनेट कनेक्टिविटी और सीमित तकनीकी क्षमता शामिल है। जिसके कारण डिजीटल शासन एप्स को अपनाने में कठिनाई हुई। इन चुनौतियों के प्रभावी समाधान के लिए पंचायती राज मंत्रालय, राज्य सरकारों के समन्वय से, निरंतर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है, ई-पंचायत अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करता है तथा हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उनमें आवश्यक उन्नयन एवं सुधार करता है। इसके अलावा, देश भर की ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित भारतनेट परियोजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मज़बूत बनाया जा रहा है।

(ङ) जी हाँ, पंचायत, "स्थानीय स्वशासन" होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय/पेसा वाले क्षेत्रों सहित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की क्षमता को मजबूत बनाना है। इसके लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे नेतृत्व की भूमिकाओं के प्रति अपनी शासन क्षमताओं का विकास कर सकें, जिससे ग्राम पंचायतों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके।

इस योजना के तहत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न डिजिटल प्रशिक्षणों सहित विभिन्न श्रेणियों में पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) के लिए सहायता प्रदान करता है। डिजिटल शासन और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक (दिनांक 10.07.2026 की स्थिति के अनुसार), 1,87,238 पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों को पेसा राज्यों में प्रशिक्षित किया गया है।
